मे० त्रिवेणी स्मेलटर्स प्रा० लि०, मौजा- रायपुरा, फतुहां, पटना द्वारा वर्तमान फर्नेस और री-रॉलिंग मिल को वर्तमान क्षमता 1,08,000 मीट्रिक टन/वर्ष से बढ़ाकर फेज- I, 1,50,000 मीट्रिक टन/वर्ष तथा फेज-II, 3,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की सूचना 2006 के तहत् दिनांकः 06.07.2019 को मुरली मनोहर, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, स्टेशन रोड, फतुहां, पटना में आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी.ओ.आर. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या-SIA/3(a)/536/18, दिनांकः 16.01.2019 के आलोक में श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दंडाधिकारी, पटना (जिलाधिकारी, पटना द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांकः 06.07.2019 को अपराह्न 12:30 बजे मुरली मनोहर, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, स्टेशन रोड, फतुहां, पटना में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा के माध्यम से दिनांक 30.05.2019 को प्रकाशित की गयी थी। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रलय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला।

लोक-सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विनायक मिश्र, अपर ~~समाहर्त्ता~~ जिला दंडाधिकारी, पटना के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. एस. प्रसाद ने इकाई के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोसल कॉरपोरट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम-जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि इकाई के पास 1.6 हेक्टेयर (16000 वर्ग मीटर) भूमि उपलब्ध है। मे0 त्रिवेणी स्मेलटर्स प्रा0 लि0 के द्वारा वर्तमान में स्थापित वर्तमान फर्नेस और री-रॉलिंग मिल को वर्तमान क्षमता 1,08,000 मीट्रिक टन/वर्ष से बढ़ाकर फेज- I, 1,50,000 मीट्रिक टन/वर्ष तथा फेज-II, 3,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष करने की योजना है। इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण तथा विस्थापन की कोई समस्या नहीं है। प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल की आपूर्ति निकटवर्त्ती क्षेत्र के स्पॉन्ज आयरन परियोजना के द्वारा

की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 50 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। इस इकाई से जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इकाई में औद्योगिक कार्य हेतु कुलिंग मद में जल का उपयोग किया जायेगा तथा इसे बंद परिपथ में रखा जायेगा। इंडक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ''फ्यूम एक्सट्रेक्टर'' एवं ''वेट स्क्रवर'' स्थापित किया जायेगा। फर्नेस से जुड़ने वाली चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखी जायेगी। फ्यूजिटिव इमीशन के रोकथाम हेतु जल-छिड़काव एवं कंक्रीट सड़क की व्यवस्था की जायेगी। ठोस अपशिष्ट आयरण स्लैग (60000 टन प्रतिवर्ष) जनित होगा। लगभग 20 प्रतिशत स्लैग का पुनः उपयोग कर लिया जाएगा। शेष स्लैग को पोर्टलैंड स्लैग सिमेंट कार्यों में इस्तेमाल हेतु विक्रय कर दिया जाएगा। ईन्ड कटिंग (6000 टन प्रतिवर्ष) एम.एस. विलेट के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में परिसर के अन्दर पुनरावृति कर पुनः उपयोग में लाया जायेगा। परियोजना परिसर के 33 प्रतिशत क्षेत्र को हरित पट्टी के रूप में विकसित किये जाने का भी प्रस्ताव है। वर्षा जल संचयन योजना भी प्रस्तावित है। कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार है:-

1. **प्रश्नः** श्री जितेन्द्र सिंह, देवी चक, फतुहां, जिला- पटना द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित परियोजना विस्तार क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया जाएगा?

   उत्तरः इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. एस. प्रसाद ने बताया कि प्रबंधन द्वारा योग्यता और अनुभव के अनुसार स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत राशि का उपयोग क्षेत्र में वृक्षा रोपण, स्कूल, अस्पताल आदि का विस्तार तथा जल उपलब्ध कराने में किया जायेगा।

2. **प्रश्नः** कुंदन कुमार, खिरोदरपुर, जिला- पटना द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित विस्तार परियोजना से होने वाला ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे?

   उत्तरः इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी उपकरण शोर विनियमन मानक को पूरा करेंगे। डी.जी. सेट (एकॉस्टिक इंक्लोजर के साथ) केवल आपातकालीन के लिए स्थापित किया जायेगा। इंडक्शन फर्नेस को केवल बिजली पर चलाया जायेगा। इकाई के अंदर वृक्षारोण कराया जायेगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा।

3. **प्रश्नः** रंजीत कुमार, खिरोदरपुर, जिला- पटना द्वारा पूछा गया कि जल प्रदूषण हेतु क्या किया जायेगा।?

उत्तरः इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि इकाई में औद्योगिक कार्य हेतु कुलिंग मद में जल का उपयोग किया जायेगा तथा इसे बंद परिपथ में रखा जायेगा। घरेलू मद से निकलने वाले वहिस्राव को सॉकपिट एवं सेप्टिक टैंक के माध्यम से निस्सारित किया जायेगा। इकाई परिसर से किसी प्रकार का वहिस्राव बाहर नहीं जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर वहिस्राव उपचार सयंत्र का निर्माण किया जायगा।

4. **प्रश्नः** अभय कुमार सिंह, दरियापुर, फतुहां, जिला-पटना द्वारा पुछा गया कि प्रस्तावित विस्तार के बाद कितना राशि जनहित कल्याण में खर्च किया जायेगा?

उत्तरः इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि कुल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत लगभग 95 लाख रुपये का उपयोग जनहित कल्याण में किया जायेगा।

5. **प्रश्नः** शशि भूषण शर्मा, संबलपुर, जिला-पटना द्वारा पुछा गया कि जल संचय हेतु क्या उपाय किया जायेगा। सरकारी जमीन या स्वंय के जमीन में जल संचयन किया जायेगा?

उत्तरः इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि वर्षा जल संचयन हेतु परिसर भूमि या अगल-बगल के गाँव में पहले से बने तालाब को गोद लेकर विकसित किया जायगा। इकाई द्वारा जितना जल खपत किया जायेगा कम से कम उतना जल का संचयन किया जायेगा।

6. डॉ. राजेश कुमार सिंह, प्राचार्य, उच्चमाध्यमिक विद्यालय, फतुहां, जिला- पटना द्वारा बताया गया कि इकाई प्रबंधन द्वारा स्कूल में पानी की व्यवस्था हेतु बोरिंग करवाया गया है तथा वाटर प्यूरिफायर लगवाया गया है उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि स्कूल में एक मिटिंग हॉल की व्यवस्था करायी जाय।

7. **प्रश्नः** प्रशांत कुमार, रायपुरा, फतुहां, जिला- पटना द्वारा पूछा गया कि हरित पट्टी के विकास के लिए क्या किया जा रहा है?

उत्तरः इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि इकाई परिसर के चारो ओर एवं खाली स्थानों (उपलब्ध भूमि का 33प्रतिशत) में वन प्रमंडल पदाधिकारी से सम्पर्क कर वृक्षारोपण कराया जायेगा।

8. **प्रश्नः** कुणाल कुमार, संबलपुर, फतुहां, जिला-पटना द्वारा पूछा गया कि वायु प्रदूषण के लिए क्या किया जायेगा?

उत्तरः इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि इंडक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ''फ्यूम एक्सट्रेक्टर'' एवं ''वेट स्क्रवर'' स्थापित किया जायेगा। फर्नेस से जुड़ने वाली चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखी जायेगी तथा वृक्षापरोण किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक-सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के क्षमता विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक-सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

19-7-15
(आशीष कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना

19/7/15
(श्री विनायक मिश्र)
अपर जिला दंडाधिकारी
पटना